

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

 सत्यमेव जयते
 Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]	दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 19, 2019/माघ 30, 1940	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 737
No. 33]	DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 19, 2019/MAGHA 30, 1940	[N.C.T.D. No. 737

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 18 फरवरी, 2019

सं. फा. 16(548)/श.वि./जल/2015/277.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (एम) के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन की दिनांक 11 अक्टूबर 1984 अधिसूचना सं. एफ. 9/74/83—एलएसजी/16150 द्वारा अधिसूचित पूर्ववर्ती भर्ती विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाये जाने वाली बातों को छोड़कर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात दिल्ली जल बोर्ड में प्रयोगशाला सहायक के पद की भर्ती पद्धति संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :- (1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड प्रयोगशाला सहायक के पद के भर्ती विनियम, 2018 कहा जाए।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यता :- कोई भी व्यक्ति
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

शर्त यह है कि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :- जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव** :- इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	प्रयोगशाला सहायक
2.	पदों की संख्या	:	44* (2018) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी "ग"
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -1 (18000-56900/-रूपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	गैर चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18 तथा 27 वर्ष के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों तथा दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय। नोट - आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है तथा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	अनिवार्य :- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / स्कूल से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण वांछनीय :- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रयोगशाला परिचर के रूप में एक वर्ष का अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष।
10.	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती द्वारा।
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	:	लागू नहीं।

12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	“ग” वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति, स्थाईकरण हेतु) 1. निदेशक; ए. एण्ड) –अध्यक्ष 2. सी.डब्ल्यू.ए.– सदस्य 3. ए.सी. (जल) – सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

चन्द्रशेखर, उप सचिव (जल)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 18th February, 2019

No. 16(548)/UD/W/2015/277.— The following Recruitment Regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the powers conferred by clause (m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) and in supersession of the earlier recruitment regulations notified by the Delhi Administration Notification No. F 9/74/83-LSG/16150 dated the 11th October, 1984 except as respects things done or omitted to be done before such supersession after approval of Competent Authority for regulating the method of recruitment to the post of Laboratory Attendant in Delhi Water Board, are hereby published, namely :-

1. Short title and commencement :- (I) These regulations may be called Delhi Jal Board Laboratory Attendant Recruitment Regulation, 2018.

(II) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix:- The number of posts, classification and pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
3. Method of recruitment, age limit and other qualifications:- The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. Disqualification: — No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. Power to relax the provisions:- Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. Saving: - Nothing in these Regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

NAME OF POST.	NUMBER OF POSTS.	CLASSIFICATION.	LEVEL IN THE PAY MATRIX.	WHETHER SELECTION OR NON-SELECTION POST.	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
LABORATORY ATTENDANT.	44*(2018) *SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORK LOAD.	CATEGORY 'C'	LEVEL 1 (RS. 18000- 56900) IN THE PAY MATIX.	NON SELECTION.	BETWEEN 18 AND 27 YEARS. (RELAXABLE FOR GOVT. SERVANTS AND EMPLOYEES OF DELHI JAL BOARD IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS OR ORDERS ISSUED BY THE CENTRAL GOVT.) NOTE :- THE CRUCIAL DATE FOR DETERMINING THE AGE LIMIT SHALL BE THE CLOSING DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS FROM CANDIDATES IN INDIA (AND NOT THE CLOSING DATE PRESCRIBED FOR THOSE IN ASSAM, MEGHALAYA, ARUNACHAL PARDESH, MIZORAM, MANIPUR, NAGALAND, TRIPURA, SIKKIM, LADHAKH DIVISION OF J&K STATE, LAHAUL & SPITI DISTRICT AND PANGI SUB-DIVISION OF CHAMBA DISTRICT OF HIMACHAL PARDESH, ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS OR LAKSHADWEEP).

EDUCATIONAL & OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS.	WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES.	PERIOD OF PROBATION, IF ANY.	METHOD OF RECRUITMENT : WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT, OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION AND PERCENTAGE OF VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS.
7.	8.	9.	10.
ESSENTIAL:- i) 10 TH PASS FROM A RECOGNIZED BOARD/SCHOOL. DESIRABLE:- ONE YEAR EXPERIENCE AS LAB. ATTENDANT IN A RECOGNIZED INSTITUTION.	NOT APPLICABLE.	TWO YEARS.	BY DIRECT RECRUITMENT.

IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION OR DEPUTATION/ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION OR DEPUTATION/ABSORPTION TO BE MADE.	IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE, WHAT IS ITS COMPOSITION.	CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION IS TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT.
1.	2.	3.
NOT APPLICABLE.	<u>CATEGORY 'C' DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE FOR CONFIRMATION CONSISTING OF:</u> 1. DIRECTOR(A&) - CHAIRMAN 2. C.W.A - MEMBER 3. A.C. (W) - MEMBER.	CONSULTATION WITH THE UNION PUBLICSERVICE COMMISSION NOT NECESSARY.

By Order and in the name of the Lieutenant Governor,
National Capital Territory of Delhi.

CHANDRA SHEKHAR, Dy. Secy.(Water)